

छठी अनुसूची में लद्दाखः स्थानीय मांगों को मानना

यह एडिटोरियल 06/02/2024 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशिति "Listen to Ladakh" लेख पर आधारित है। इसमें लद्दाख में हाल के वरीध प्रदर्शनों के पीछे अंतर्नहिति कारणों की पढ़ताल की गई है, जहाँ अलग राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग की जा रही है।

प्रलिमिस के लिये:

[लद्दाखः छठी अनुसूची](#), रेशम मार्ग, पैगंग तसो, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त जिला प्रशिद्द (ADCs)।

मेन्स के लिये:

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के पीछे तरक, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के खलिफ तरक।

हाल के दिनों में [लद्दाखः छठी अनुसूची](#) को राज्य का दरजा और संवधिन में अपनी पहचान बनाए रखने को लेकर व्यापक वरीध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि [लद्दाखः का राज्य का दरजा](#) पुनर्बहाल किया जाए। उल्लेखनीय है कि विष्णु 2019 में लद्दाख को विधानसभा-रहित केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। उनकी यह भी मांग है कि लद्दाख को [छठी अनुसूची](#) के तहत एक जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए, साथ ही लेह और कारगलि दोनों ज़िलों के लिये संसदीय सीट स्थापित की जाए तथा स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए।

लद्दाख भारत के लिये कसि प्रकार महत्त्वपूर्ण है?

- भू-राजनीतिक महत्त्व:** लद्दाख को 'दर्रों की भूमि' (Land of Passes/La-passes/dakh-land) के रूप में भी जाना जाता है। [दक्षणि एशिया](#), मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के चौराहे पर लद्दाख की रणनीतिक अवस्थिति इसे अत्यधिक भू-राजनीतिक महत्त्व प्रदान करती है।
- रणनीतिक महत्त्व:** यह भारत और इसके पड़ोसी देशों (चीन और पाकिस्तान सहित) के बीच एक बफर ज़ोन के रूप में कार्य करता है। लद्दाख क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के साथ जारी सीमा विवाद भारत की क्षेत्रीय अखेड़ता और संपर्कमुता की रक्षा में इसके महत्त्व को रेखांकित करते हैं।
 - भारतीय सशस्त्र बल बाहरी खतरों का मुकाबला करने और भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिये लद्दाख में एक प्रबल उपस्थितिबनाए रखते हैं।
- प्रयटन क्षमता:** 'लामा लैंड' या 'लटिल तबिबत' के नाम से लोकप्रिय लद्दाख लगभग 9,000 फीट से 25,170 फीट की ऊँचाई पर स्थिति है। ट्रैकिंग और प्रवासों से लेकर वभिन्न मठों की बौद्ध यात्राओं तक, लद्दाख में प्रयटन के लिये बहुत कुछ है।
- आरथिक महत्त्व:** लद्दाख में, विशेष रूप से प्रयटन, कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, विशाल अप्रयुक्त आरथिक क्षमता मौजूद है।
 - [पैगंग और तसो मोरीरी](#) जैसी स्वच्छ झीलों एवं पहाड़ों के साथ यह क्षेत्र लुभावने भूदृश्य रखता है जो रोमांच और शांतिकी इच्छा रखने वाले प्रयटकों को आकर्षित करता है।
- प्रयावरणीय महत्त्व:** लद्दाख की उपजाऊ घाटियाँ और नदी बेसनि जैवकि खेती एवं बागवानी सहित कृषि विकास के वृहत अवसर प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, लद्दाख की प्रचुर धूप और पवन संसाधन इसे सौर एवं पवन ऊर्जा प्रयोजनाओं के विकास के लिये अनुकूल बनाते हैं, जो भारत के [नवीकरणीय ऊर्जा](#) लक्ष्यों में योगदान कर सकते हैं।
- सांस्कृतिक महत्त्व:** लद्दाख की भूमिप्राचीन [रेशम मार्ग \(Silk Route\)](#) पर स्थिति है जो अतीत में संस्कृति, धर्म, दर्शन, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
 - यह क्षेत्र विविध जातीय समुदायों का घर है, जिनमें लद्दाखी, तबिबती और बाल्टी लोग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट प्रसंगराएँ एवं रीत-रिवाज हैं।
 - हेमसि, थकिसे और दसिकति के सदस्यों पुराने मठ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिन्होंने प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं और अभ्यासों को आज भी संरक्षित कर रखा है।



II

छठी अनुसूची में शामलि करने की लद्दाख की मांग के पक्ष में कौन-से तर्क मौजूद हैं?

- **प्रतिनिधित्व सुनिश्चिति करना:** वर्ष 2019 में [जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन](#) के बाद लद्दाख को बिना वधिनसभा के केंद्रशासित प्रदेश के रूप में नरिदिष्ट किया गया था। इस प्रविरत्न के कारण नरिण्य लेने की प्रक्रयाओं में स्थानीय स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व की हानि के बारे में चिताएँ उत्पन्न हुईं।
 - इससे पूरव की स्थिति से तुलना की जाने लगी है, जहाँ लद्दाख जम्मू-कश्मीर वधिनसभा में चार और वधिन परिषद में दो सदस्य रखता था।
 - जब लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का अंग था, तब क्षेत्र पर शासन करने वाली निवाचित संस्था [लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद](#) (Ladakh Autonomous Hill Development Council - LAHDC) को उल्लेखनीय स्वायत्तता प्राप्त थी।
 - लेकिन अब जब यह क्षेत्र केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, लद्दाखी नेताओं का कहना है कि LAHDC को बेहद सीमित कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक स्वतंत्र-हरण (political dispossession) की भावना पैदा हो रही है।
 - प्रतिनिधित्व की कमी से इस भय का संचार हो रहा है कि अब बाहरी लोग लद्दाख के लिये नरिण्य लिया करेंगे।
- **लोक भागीदारी का अभाव:** जम्मू-कश्मीर राज्य के एक अंग के रूप में लद्दाख को [अनुच्छेद 370](#) और [अनुच्छेद 35A](#) के तहत वशिष्ठ दरजे का वशिष्ठाधिकार प्राप्त था। अब अशक्तीकरण की भावना बढ़ रही है, क्षेत्रीकरणीय भूमि, संस्कृत और पहाड़ियां जैसी सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण असुरक्षा बढ़ गई है। वधियां निकाय की कमी का अर्थ है कि निरिण्यन प्रक्रया अब सार्वजनिक भागीदारी से नौकरशाही प्रक्रयाओं की ओर स्थानांतरित हो गई है।
- **लद्दाख का नाजुक पारस्थितिकी तंत्र:** उच्च तुंगता वाले मरुस्थलों, ग्लेशियरों और अलपाइन घास मैदानों से चहिनति लद्दाख का नाजुक पारस्थितिकी तंत्र जैव विविधता का 'हॉटस्पॉट' है और कई दुर्लभ एवं लुपत्प्राय प्रजातियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रयावास के रूप में कार्य करता है।
 - जलवायु कारबंदीओं ने हमिनद पारस्थितिकी में खनन के संबंध में चिता व्यक्त की है।
 - लद्दाख के लोगों को भी है कि यदि उद्योग स्थापित किये जाएंगे तो ऐसे प्रत्येक उद्योग लाखों लोगों को क्षेत्र में लेकर आएंगे और लद्दाख

- का नाजुक पारस्थितिकी तंत्र इतने सारे लोगों का बोझ नहीं उठा सकेगा।
- लद्दाख के भीतर जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल लद्दाखियों की आजीविका एवं लद्दाख के पारस्थितिकी तंत्र के लिये बल्कि संपूर्ण नदी परणाली के सवास्थ्य के लिये भी महत्वपूर्ण है।
 - **संवेदनशील सीमा क्षेत्र:** लद्दाख की नाजुक स्थितिचीन एवं पाकिस्तान दोनों के साथ लगती सीमाओं के कारण और जटिल हो जाती है। पूरी लद्दाख में चीन के PLA के साथ जारी सैन्य गतिरीध के साथ ही भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ाने के पाकिस्तान के लगातार प्रयासों से एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती उत्पन्न होती है।
 - **चीन-पाकिस्तान धरी (China-Pakistan axis)** को संबोधित करने के लिये स्थानीय समुदाय द्वारा समर्थित रणनीतिकी अवसंरचना के विकास की आवश्यकता है।
 - **सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण:** छठी अनुसूची में शामिल होने से लद्दाख की अद्वतीय सांस्कृतिक विरासत और प्रारंभिक रीतिरिवाजों की रक्षा के लिये कानूनी सुरक्षा उपाय उपलब्ध होंगे। छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों को शासन में कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे वे अपने कार्यों एवं संसाधनों का प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम होते हैं।
 - **सामाजिक-आर्थिक विकास:** आलोचकों का तर्क है कि युवा कार्यबल के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने के मामले में केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से कमज़ोर रहा है।
 - केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना को चार वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में लोक सेवा आयोग स्थापित नहीं किया जाने से युवाओं में आक्रोश है।
 - लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के भीतर एक व्यापक रोजगार नीतिका अभाव एक गंभीर मुद्दा है जो स्थितिको और जटिल बनाता है।
 - छठी अनुसूची के तहत दी गई स्वायत्तता स्थानीय रूप से प्रासंगिक विकास पहलों के सूत्ररीकरण एवं कार्यान्वयन को सुगम बना सकती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार हो सकता है।
 - **लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना:** छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त प्रणिदों की स्थापना से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ सशक्त होंगी और समावेशी शासन एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

छठी अनुसूची क्या है?

- **अनुच्छेद 244:** अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्तत प्रशासनकि प्रभागों—**स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs)**—के गठन का प्रावधान करता है, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधियी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है।
- **वर्तमान स्थिति:** छठी अनुसूची में चार पूर्वोत्तर राज्यों—असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिश्वर में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष प्रावधान किया गए हैं।

MEGHALAYA	● Khasi Hills Autonomous District Council
	● Jaintia Hills Autonomous District Council
	● Garo Hills Autonomous District Council
MIZORAM	
	● Chakma Autonomous District Council
	● Lai Autonomous District Council
TRIPURA	
	● Mara Autonomous District Council
ASSAM	
	● Tripura Tribal Areas Autonomous District Council
	● Dima Hasao Autonomous Council
	● Karbi Anglong Autonomous Council
	● Bodoland Territorial Council

- **स्वायत्त ज़िले (Autonomous Districts):** इन चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है। राज्यपाल के पास स्वायत्त ज़िलों को सुगठित एवं पुनर्गठित करने का अधिकार है।
- **ज़िला परिषद (District Council):** प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
- **परिषद की शक्तियाँ:** ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं।
 - वे कुछ निरिदेशिट मामलों—जैसे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीत-रिवाज आदिपर कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमतिकी आवश्यकता होती है।
 - वे जनजातियों के बीच मुकदमों की सुनवाई के लिये ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। वे उनसे अपील भी सुनती हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यपाल द्वारा निरिदेशिट किया जाता है।
 - ज़िला परिषद ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदिकी स्थापना, नरिमाण या प्रबंधन कर सकती है।

- उनहें भू-राजस्व के आकलन एवं संग्रहण करने और कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार भी दिया गया है।

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के विरुद्ध कौन-से तरक्की मौजूद हैं?

- कानूनी और प्रशासनिक बाधाएँ:** गृह मंत्रालय ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिये संविधान में संशोधन संबंधी संभावित चुनौतियों को उजागर किया है और कहा है कि इस तरह के कदम के लिये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
 - मंत्रालय के अनुसार, संविधान में स्पष्ट रूप से छठी अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये आरक्षणीय है, जबकि देश के अन्य हस्तियों के जनजातीय क्षेत्र पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।
- नियन्त्रण लेने में संभावित देरी:** कुछ लोग तरक्की दे सकते हैं कि छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने से क्षेत्र की शासन संरचना में जटिलियाँ बढ़ सकती हैं, जिससे संभावित रूप से प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और नियन्त्रण प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है।
- समावेशन के प्रयास पहले से ही जारी:** केंद्र सरकार ने हाल ही में एक संसदीय स्थायी समति को सूचित किया कि जनजातीय आबादी को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का उद्देश्य उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसका लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन पहले से ही ध्यान रख रहा है और लद्दाख की समग्र विकासात्मक आवश्यकताओं की पूरतीके लिये प्रयाप्त धन प्रदान किया जा रहा है।
- आरक्षण में वृद्धि:** राज्यसभा में हाल ही में प्रस्तुत की गई एक रपोर्ट के अनुसार, लद्दाख प्रशासन नेहाल ही में सीधी भरती में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया है, जिससे जनजातीय आबादी को उनके विकास में प्रयाप्त मदद मिलेगी।
- आर्थिक विकास में बाधा:** केंद्रशासित प्रदेश होने के रूप में लद्दाख में सड़कों, हवाई पट्टियों और संचार नेटवर्क सहित अवसंरचना के विकास में केंद्रित नियंत्रण की अनुमति मिलती है। आलोचकों का तरक्की है कि छठी अनुसूची में शामिल किये जाने से भूमिक्षण, संसाधन दोहन और नियंत्रण के अवसरों पर नियंत्रण के कारण लद्दाख के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- कमान की स्पष्ट शृंखला:** चूँकि लद्दाख प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (लेफ्टनेंट गवर्नर) द्वारा शासित होता है, इसलिये इस क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों के लिये कमान की एक स्पष्ट शृंखला मौजूद है। इससे चीनी घुसपैठ का जवाब देने में सेना, अर्द्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय की सुविधा प्राप्त होती है।
 - केंद्रशासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को सुदृढ़ करती है और सीमा विवादों पर चीन के साथ वारता में इसकी राजनीतिक स्थिति को प्रबल करती है।

आगे की राह

- सारथक संवाद:** सरकार को विशेष प्रदर्शन में शामिल हतिधारकों—जिसमें लद्दाख के स्थानीय समुदायों, राजनीतिक संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधिशामिल हैं, के साथ सारथक संवाद शुरू करना चाहिये।
 - इस संवाद का उद्देश्य छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को प्रेरित करने वाली अंतर्निहित शक्तियों, आकांक्षाओं एवं चतियों को समझना होना चाहिये।
- व्यवहार्यता का आकलन:** लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की व्यवहार्यता एवं नियंत्रित का आकलन करने के लिये एक गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
 - इस मूल्यांकन में कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के साथ-साथ क्षेत्र में शासन, विकास एवं सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिये।
- लोगों का भरोसा जीतना:** लोगों का भरोसा जीतने के लिये, सरकारी नियन्त्रण और वादे एक नियंत्रित समय सीमा के भीतर मूरत होने चाहिये।
 - छठी अनुसूची में शामिल किये जाने की लद्दाख की मांग को संबोधित करने की प्रक्रिया उभरती प्रसिद्धियों के अनुसार पुनरावृत्तीय एवं उत्तरदायी होनी चाहिये।
- स्थानीय शासन को बेहतर बनाना:** सरकार को क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये समावेशी स्थानीय शासन, अधिक स्वायत्तता एवं लक्षणि नीतिहिस्तक्षेप हेतु बेहतर प्रयास सुनिश्चित करना चाहिये।
- संवेदनशील नीतिनिरिमाण:** भारत के नीतिनिरिमानों को लद्दाख के लिये अपनी नीतियों का मसौदा तैयार करते समय इसकी भौगोलिक स्थिति, नाजूक प्रयावरण, संसाधन क्षमता एवं लोगों की आकांक्षाओं पर विचार करना चाहिये। ऐसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूभाग में इसका पूरा लाभ उठाने के लिये इन सभी पहलुओं को सामंजस्य में रखना अत्यन्त आवश्यक है।
- क्रमकि और चरणबद्ध दृष्टिकोण:** मुद्रे की जटिलता और इसमें शामिल विधि हतियों को देखते हुए, छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की स्थितिपर कोई भी नियन्त्रण क्रमकि एवं चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से लिया जाना चाहिये।
 - इसके पूरणरूपेण कार्यान्वयन से पहले विभिन्न विकल्पों की व्यवहार्यता एवं प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिये पायलट परियोजनाओं, प्रयोग या चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतियों को आजमाना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

लद्दाख में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व भारत की सुरक्षा रणनीतिका एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिये। सरकार लद्दाख के लोगों को नियन्त्रण लेने की प्रक्रियाओं, विशेष रूप से सुरक्षा एवं शासन से संबंधित प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित कर, क्षेत्र के हतियों की रक्षा करने और सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के प्रयासों में स्थानीय स्वामतिव एवं भागीदारी को बढ़ा सकती है।

अभ्यास प्रश्न: भारत की विकास रणनीतिमें लद्दाख को प्रयाप्त लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सौपना शामिल होना चाहिये। टिप्पणी कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. संवधान के नमिनलखिति में से कसि प्रावधान का भारत की शक्षा पर प्रभाव पड़ता है? (2012)

1. राज्य के नीतनिदिशक सदिधांत
2. ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय नकाय
3. पाँचवी अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवी अनुसूची

नमिनलखिति कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर- (d)

प्रश्न:

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संवधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ladakh-in-sixth-schedule-listen-to-local-demand>